राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1974/2014/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 1975/2014/उदयपुर.

मैसर्स मिनरल प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–बी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/09/2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी ने अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 116 व 117/वेट/2013–14/उदयपुर में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 29.08.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम वृत्त बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001–02 व 2002–03 के लिए पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को निस्तारित करते हुए प्रकरण पुनः आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, को विवादित किया गया है।

2. दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, आदेश की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 के मूल कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29(6) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 22.01.2002 एवं दिनांक 16.02.2004 को पारित कर 'शून्य' मांग निकाली।

लगातार.....2

तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30, 65 एवं 58 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2006 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की गई :—

अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
1340/10	2001—02	1,82,220	1,53,976	3,64,440	7,00,636
1341/10	2002—03	4,47,361	2,84,194	8,54,722	15,66,277

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार सृजित मांग में संशोधन करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र पर संशोधन आदेश दिनांक 08.06.2007 को पारित करते हुए संशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर दिये। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की, जिन पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने अपीलें स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि सी—फार्म एवं ई—1 फार्म की मूल प्रतियां प्राप्त कर उनका सत्यापन एवं परीक्षण कर उन्हें स्वीकार कर नियमानुसार अवशेष बचे कर पर ब्याज व शास्ति आरोपित करें। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 से क्षुब्ध होकर माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपीलें संख्या 1340/2010 व 1341/2010 प्रस्तुत की। माननीय खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 27.05.2013 के द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 को उचित मानते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की गई। इसी दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 08.06.2007 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन अपरिवर्तित रखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2014 से निस्तारित करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि पुनः जांच कर आदेश पारित करें। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

लगातार.....3

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2012 के द्वारा दोनों मूल कर निर्धारण आदेशों 2001—02 व 2002—03 के लिए पारित आदेश दिनांक 08.06.2007 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अपीलाधीन प्रकरण के अधीन अपरिवर्तित/ यथावत रखा जाता है, का आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी उदयपुर द्वारा अपील संख्या 116 व 117 आदेश दिनांक 29.08.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

14.09.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य